प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

चन्द्रावती पब्लिक प्राईमरी स्कूल,
बुगरासी रोड़ स्याना –जनपद बुलन्दशहर

पत्र संख्या शि०स०/ 762 / 2003–04 / दिनांक 1/5/03

विषय। अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को अस्थाई मान्यता [राजाज्ञा संख्या १८७३/१५-६-९८-१८ एस [७] /८६ दिनांक १० सितम्बर १९९८ के अन्तर्गत प्रदान करने के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर मान्यता समिति की संस्तुति पर आपके विद्यालय को दिनांक 01-07-2002 से ०५ वर्ष के लिए प्राईमरी स्तर (कक्षा १ से ५) की नवीन अस्थाई मान्यता राजाज्ञा सं० १८७३/१५-६-९८-१८ एस [७] /८६ दिनांक १० सितम्बर १९९८ के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अशासकीय प्राथमिक विद्यालय जिन्हें अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है को ०५ वर्ष में स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित सभी अनुबन्धों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में अस्थाई मान्यता का उक्त तिथि से आगे कोई विस्तरण नहीं किया जायेगा।

१—समिति के पंजीकरण का अद्यावधि नवीनीकरण कराया जाये।
२—केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किया जाये। इस कार्यालय की अनुमति के बिना कोई अध्यापक न नियुक्त किया जाये और न हटाया जाय।
३—विद्यालय का भवन एवं भूमि पर विद्यालय का स्वामित्व हो। भवन एवं भूमि विद्यालय के नाम दाखिल खारिज हो।
४—विद्यालय के भवन में २०×१६ फीट के ०५ कक्ष (प्रत्येक कक्षा व खण्ड के लिए एक कक्ष) एवं १२×१० फीट का कार्यालय होना चाहिये।
५—अध्यापक कर्मचारियों को परिषद द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये जायें तथा बैंक [illegible] चैक से वेतन भुगतान किया जाये।
६—विद्यालय में छात्रों को परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्य क्रम पढ़ाया जाय।
७—विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल किया जाये।
८—शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो।
९—नर्सरी व ६, ७, ८ की कक्षायें विद्यालय में संचालित न की जायें।
१०—विभाग / शासन के आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाये किसी भी अवैधानिक गतिविधि का संचालन न किया जाये।

उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 31/5/03
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ० सं० शि० सं० / / 2003–04 उसी तिथि को

प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / [illegible] स्याना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

Scanned with OKEN Scanner